

FORM-I
(For Liner Projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Magistrate and Deputy Commissioner, Dumka

Memo No. 2342.....

Date 17-12-2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-fc (pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement or right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2023 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that **total 2.9377 hectares** of forest land in **Mouza – Birna, Gangta, Charkapathar, Budijhilwa, Pathriya and Pindra Block – Saraiyahat, District – Dumka** to be diverted in favour of Electrical Executive Engineer, Transmission Division, Jharkhand Urja Sancharan Nigam limited, Dumka for Construction of 132 KV Jasidih to Hansdiha D/C Transmission Line in the State of Jharkhand (Dumka District) falls within jurisdiction in Dumka Sub-Division.

It is further certified that :-

- a. The complete process for the identification and settlement for rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act, 2006 has been carried out for the entire **2.9377 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the village Forest Rights Committee, Sub-Division level Committee and the District level Committee are enclosed as annexure.
- b. The diversion of forest land for above mentioned purpose does not attract provisions of section 3(2) of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006.
- c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl : As above




17/12/24
Deputy Commissioner,
Dumka

श्री आंजनेयुलू दोड्डे (भा0प्र0से0) उपायुक्त, दुमका की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2024 को आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

कार्यालय पत्रांक 386/जि0क0, दिनांक 28.02.2024 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष अनुमंडलस्तरीय वनाधिकार समिति, दुमका के ज्ञापांक 22/मु0 दिनांक 06.05.2024 द्वारा 132 के0वी0 द्विपथ हँसडीहा-जसीडीह संचरण लाईन का निर्माण हेतु वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता सं0	दाग नं0	कुल रकवा (ए0डी0)	प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)	किस्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिण्डरा	34	34	644	13.42	0.5580	जंगल-झाड़ी	
2	पथरिया	20	15	163	01.65	0.0290	राखा जंगल	
3	पथरिया	20	15	278	01.82	0.1831	राखा जंगल	
4	पथरिया	20	15	276	01.05	0.1557	राखा जंगल	
5	विरना	21	8	79	02.10	0.1280	झाड़ी-जंगल	
6	गंगटा	34	5	42	11.50	0.1785	झाड़ी-जंगल	
7	गंगटा	34	5	49	06.15	0.3624	झाड़ी-जंगल	
8	गंगटा	34	5	66	41.50	0.0083	झाड़ी-जंगल	
9	गंगटा	34	6	40	00.62	0.0530	झाड़ी-जंगल	
10	गंगटा	34	6	47	00.26	0.0338	झाड़ी-जंगल	
11	चरकापाथर	24	32	1	28.19	0.4527	जंगल-झाड़ी	
12	चरकापाथर	24	32	3	11.70	0.5577	जंगल-झाड़ी	
13	बुढ़ी झिलवा	26	12	457	06.14	0.2375	झाड़ी-जंगल	पूर्व में मानवीय भूलवश प्रस्तावित रकवा के क्रमांक 13 में 0.2365 अंकित हो गया था।
	कुल					2.9377		

प्राप्त प्रस्ताव के साथ जाँच प्रतिवेदन, ग्राम सभा, ट्रेस नक्सा एवं ग्राम सभा में ग्रामीणों के द्वारा अपनी सहमति प्रदान किया गया है।

पूर्व में निर्गत कार्यालय पत्रांक 1174, दिनांक 19.06.2024 एवं पत्रांक 1182, दिनांक 19.06.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अतः सर्वसम्मति से FRA प्रमाण पत्र (For liner projects) Form-I निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

निशा शबनम हाँसदा

निशा शबनम हाँसदा,
सदस्य, जिला परिषद,
(प्रखण्ड-गोपीकान्दर)

जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य
-सह-सचिव,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका

प्रकाश हाँसदा

प्रकाश हाँसदा
सदस्य, जिला परिषद,
(प्रखण्ड-शिकारीपाड़ा)

वन प्रमंडल पदाधिकारी
-सह-सदस्य,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका।

मिनु मरांडी

मिनु मरांडी
सदस्य, जिला परिषद,
(प्रखण्ड-मसलिया)

उपायुक्त
-सह-अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका।

ज्ञापांक...2341...../जि0क0, दुमका, दिनांक...17-12-2024

प्रतिलिपि:-आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर समाहर्ता, दुमका/अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका/सहायक वन संरक्षक, दुमका/अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
-सह-अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
दुमका।